

**फार्म**  
**अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2013**

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष नि 200  
 1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम महेश कुमार ओबेरा 2. वर्तमान धारित पद आिनो जायो सहा. शोला-1 3. कार्यालय का नाम मु.स.स. अभियान.1 (कार्पो.) अफे. स्व. डा. 2  
 4. वर्तमान वेतन 25570 + 26433 + 3800 5. भविष्य निधि क्रमांक 22038300 6. कर्मचारी संख्या 84977007

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>जालंधर 2</u>	<u>गृह</u>	<u>नि 200</u>	<u>14,00,000=00</u>	<u>स्वयं के नाम</u>	<u>स्वयं की बचत खाता + LIC से लोन के द्वारा खरीदा था बनाया, मकान की मासिकता प्रविण से जुवालय से वर्ष 1999 के 2021 के 20 वर्ष 2004 के बनाया</u>	<u>नि 200</u>	<u>-</u>

हस्ताक्षर Poojti  
 नाम महेश कुमार ओबेरा  
 पद आिनो जायो सहा. शोला-2ah

\* जहां लागू न हो काट दीजिए  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं  
 टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।